आगरा नगर निगम
AGRA NAGAR NIGAM

Shri Naveen Jain (Mayor)

Shri Arun Prakash
(Municipal Commissioner)

Shri Kunwar Bahadur Singh
(Additional Municipal Commissioner)

Agra Nagar Nigam Near Sur Sadan, M.G.Road, Agra
E-Mail-amcagra1@gmail.com

माह नवम्बर 2019 में आगरा नगर निगम की संस्था ईको फ्रेन्ड्स वेलफेयर सोसायटी एवं ग्रीन हैन्ड्स द्वारा नगर निगम की टीम के साथ मिलकर किचन के वेस्ट से कम्पोस्ट बनाना सिखाया एवं कम्पोस्ट बिन्स भी वितरित किए।

ECO FRIENDS
ROTARY CLUB OF AGRA
(First Club of the District)
SERVICE ABOVE SELF - THEY PROFIT MOST WHO SERVE BEST
Welcomes You
President
Rtn. Narinder Singh
Secretary
Rtn. Harsh Gulati
Treasurer

TARY CLUB OF AGRA
Welcomes You

ECO FRIENDS
ECO FRIENDS WELFARE SOCIETY
Mob. 9760022757
"जैविक खाद बनाने की विधि"
Welcomes
President
Secretary

ECO FRIENDS
ECO FRIENDS WELFARE SOCIETY
Mob. 9760022757
"जैविक खाद बनाने की विधि"
Welcomes
President
Secretary

ECO FRIENDS
HOME COMPOSTING

TARY CLUB OF AGRA
Welcomes You

ECO FRIENDS
TARY CLUB OF AG
VICE ABOVE SELF - THEY PROFIT MOST WHO SER

Y CLUB OF AGRA
Welcomes You

TARY CLUB OF AGRA
Welcomes You

TARY CLUB OF AGRA
Welcomes You

आगरा नगर निगम की टीम द्वारा नवम्बर माह में अतिक्रमण के लिये की गयी कार्यवाही

हटाये गये अवैध अतिक्रमण का स्थल/स्थान

दिनांक 02.11.2019:- स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टास्क फोर्स टीम के सहयोग से नालबन्द चौराहे से नाई की मण्डी बाजार तक तथा पचकुइयां चौराहे के आस पास क्षेत्र नगर निगम आगरा के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में नालबन्द चौराहे तथा पचकुंइया चौराहे स्थित ठेल–ढ़केलों पर 01 किलो प्रतिबन्धित पॉलीथीन पायी गयी, जिनको तत्काल जब्त करते हुये प्रतिबन्धित पॉलीथीन के विरूद्ध रू0–8,000/–,मा0 एन0जी0टी0 शमनशुल्क धनराशि रू0–15000/–तथा अतिक्रमण शमनशुल्क धनराशि रू0–8000/– कुल शमनशुल्क धनराशि रू0–31,000/–वसूल कर नगर निगम आगरा कोष में जमा करायी गयी।

दिनांक 05.11.2019:- स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध अतिक्रमणों, एंव अवैध रूप से प्रयोग हो रहे कोयला भट्टी को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टास्क फोर्स टीम के सहयोग से देहली गेट स्थित राजा मण्डी रेल्वे स्टेशान के आस पास नगर निगम आगरा के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में दुकानों/होटलो में अवैध कोयले के तन्दूर की 09 भट्टीयों को ध्वस्त करते हुये एन0जी0टी के अन्तर्गत शमनशुल्क धनराशि रू0–85000/–तथा गन्दगी के विरूद्व शमनशुल्क धनराशि

रू0–1000/– कुल शमनशुल्क धनराशि रू0–86,000/–वसूल कर नगर निगम आगरा कोष में जमा करायी गयी।

दिनांक 06.11.2019ः- स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध अतिक्रमणों, एंव अवैध रूप से प्रयोग हो रहे कोयला भट्‌टी को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टास्क फोर्स टीम के सहयोग से फतेहाबाद रोड, रेस्टोंरेंट बीकानेर से टी0डी0आई मॉल तक सडक के दोनो तरफ अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में दुकानों/होटलो में अवैध कोयले के तन्दूर की 20 भट्‌टीयों को ध्वस्त करते हुये, 02 कि0ग्रा प्रतिबन्धित पॉलीथीन जब्त करते हुये और 19 टीन भोड तोडे गये इस अभियान के दौरान मा0 एन0जी0टी के अन्तर्गत शमनशुल्क धनराशि रू0–50,000/– अतिक्रमण के विरूद्व शमन शुल्क धनराशि रू0–87,500/– तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीन के विरूद्व भामन भाुल्क रू0–16,000/– कुल शमनशुल्क धनराशि रू0–1,53,500/– वसूल कर नगर निगम आगरा कोष में जमा करायी गयी।

दिनांक 07.11.2019:- सूरसदन चौराहा से सॉई की तकिया तक सडक के दोनो ओर एंव भगवान टॉकिज से कमला नगर पानी की टंकी तक नगर निगम आगरा में तैनात प्रवर्तन टीम, विज्ञापन विभाग के सहयोग से नगर निगम आगरा के नेतृत्व में अवैध होर्डिंग/बैनर को हटाने हेतु अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में 20X10 के 09 होर्डिंग्स को हटाया गया।

दिनांक 08.11.2019:- **सहायक नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये दिनांक 08.11.2019 को रात्रि में 09.00 बजे से 12.30 बजे तक प्रवर्तन दल,/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स एंव आर0आई श्री वैभव यादव के सहयोग से भगवान टॉकिज चौराहे से एस0एन0 मेडिकल कॉलेज तक सडक के दोनो ओर नगर निगम आगरा के नेतृत्व में फुटपाथ पर सोने वाले गरीब एंव असहाय वयस्क पुरूश, महिला तथा बच्चों को भौल्टर होम में पहुॅचाने का अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में 10 पुरूश एंव 5 बच्चों को राजामण्डी रेलवे स्टेभान रोड पर स्थित भौल्टर होम में और 05 महिलाओं को खन्दारी भौल्टर होम में पहुॅचाया गया। इस दौरान देहली गेट स्थित चाय की दुकानों में अवैध कोयले की 02 भट्टीयों कों बन्द करवाया एंव रू0 10,000 का भामन भुाल्क वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया।**

दिनांक 13.11.2019- सी 9 बसई खुर्द से टी0डी0आई मॉल तक फतेहाबाद रोड पर स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा हो रहे विरोध को रोकने के लिये नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स एंव स्मार्ट सिटी के कर्मचारी/अधिकारीगण के सहयोग से नगर निगम आगरा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नाले पर स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों के द्वारा हो रहे विरोध के बावजूद प्रवर्तन दल ने निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराया तथा स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा हो रहे विरोध को दूर किया। साथ ही अवगत कराना है कि एल. जी. 3 ग्लोरी प्लाजा सूरसदन चौराहा एम.जी.रोड आगरा में अवैध रूप से बने झीने को हटाये जाने हेतु चिन्हांकन की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

दिनांक 15.11.2019 - स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध रूप से प्रयोग हो रहे कोयला भट्टी को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टास्क फोर्स टीम के सहयोग से रामबाग चौराहे के आस पास नगर निगम के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा प्रयोग हो रहे अवैध कोयले की तन्दूर की 01 भट्टी को बन्द करवाते हुये, मा0 एन0जी0टी के अन्तर्गत शमनशुल्क धनराशि रू0–5000/एंव 04 कि0ग्रा प्रतिबन्धित पॉलीथीन जब्त करते हुये भामन भुाल्क रू0–46,000/– कुल शमनशुल्क धनराशि रू0–51,000/– वसूल कर नगर निगम आगरा कोष में जमा करायी गयी।

दिनांक 16.11.2019- प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स द्वारा 3/345 रूई की मण्डी श्री अजय त्यागी पुत्र श्री श्रीनिवास त्यागी निवासी भााहगंज आगरा में बालाजी इन्डस्ट्रीज नामक फैक्ट्री में अवैध रूप से प्रयोग हो रहे एल्यूमिनियम की ढलाई 01 स्थायी भट्टी को बन्द करवाते हुये, मा0 एन0जी0टी के अन्तर्गत शमन शुल्क धनराशि रू0–1,00,000/ वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया। साथ ही पवन भार्मा पुत्र स्व0 श्री रमाभांकर भार्मा 3/348 रूई की मण्डी भााहगंज आगरा कें निवासी है जिनकी एल्यूमिनियम की ढलाई की फैक्ट्री 3/283 गजाधर प्रसाद स्कूल के पास रूई की मण्डी में है जिसमे अवैध रूप से एल्यूमिनियम फैक्ट्री संचालित हो रही थी जिसे पुलिस बल, एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स एंव एस0एफ0आई श्री संजीव यादव के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में सील किया एंव नोटिस चस्पा किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15/19 के तहत मुकदमा दायर किया गया। साथ ही अवगत कराना है कि प्रर्वतन दल/एन्फोर्समेंन्ट टॉस्क फोर्स ने संजय प्लेस में जी0एस0टी भवन के बगल में अवैध रूप से रखे हुये 01 अस्थायी खोके को ध्वस्त किया। आवास विकास सेक्टर–9 में कारगिल पेट्रोल पम्प से करकुंज चौराहे तक नाले के ऊपर हो रहे अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की चेतावनी/मुनादी कराई गयी कि वह स्वंय अपने अतिक्रमण को हटाले अन्यथा नगर निगम द्वारा जुर्माना वसूला जायेगा एंव सामान/माल को जब्त कर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया

जायेगा।

दिनांक 19.11.2019- स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम के सहयोग से भावना स्टेट से के0 के0 नगर, तक और फ्रेंडस मार्केट तोता का ताल, मदिया कटरा में अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा प्रयोग हो रही प्रतिबन्धित पॉलीथीन (1.5 कि0ग्रा) जब्त करते हुये भामन भुल्क रू0–11,000/– तथा 18 स्थायी एंव 12 अस्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त करते हुये शमनशुल्क धनराशि रू0–67,700/– वसूल किया। इस प्रकार नगर निगम आगरा कोष में कुल शमनशुल्क धनराशि रू0–78,700/– जमा करायी गयी। जिसमें रू0 10,000 स्वैप मीन द्वारा वसूल किये गये है।

दिनांक 20.11.2019- स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टास्क फोर्स टीम के सहयोग से देहली गेट स्थित राजा मण्डी रेलवे स्टे□ान के आसपास अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में दुकानों/होटलो के आगे लगे हुये 06 स्थायी एंव 17 अस्थायी अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करते हुये अतिक्रमण शमनशुल्क धनराशि रू0–50,000/– गन्दगी के अन्तर्गत शमनशुल्क धनराशि रू0–500/–कुल शमनशुल्क धनराशि रू0–50,500/–वसूल कर नगर निगम आगरा कोष में जमा कराया गया।

दिनांक 21.11.2019- स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टास्क फोर्स टीम के सहयोग से कारगिल पेट्रोल पम्प से पश्चिम पुरी चौराहे तक अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों के आगे लगे हुये 04 अस्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त करते हुये अतिक्रमण शमनशुल्क धनराशि रू0–13,000/– वसूल कर नगर निगम आगरा कोष में जमा कराया गया।

दिनांक 22.11.2019- स्थानीय नागरिकों / दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन / प्लास्टिक / थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध स्थायी / अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल / एनफोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम के सहयोग से राम रघु हॉस्पीटल, से चर्च रोड होते हुये खन्दारी ओवर ब्रिज तक अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में छापामारी / अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में स्थानीय नागरिकों / दुकानदारों द्वारा प्रयोग हो रही प्रतिबन्धित पॉलीथीन (200 ग्राम) जब्त करते हुये भामन भाुल्क रू0–2,000 / – तथा अतिक्रमण शमनशुल्क धनराशि रू0–9,000 / – मा0 एन0जी0टी के अन्तर्गत भामन भाुल्क धनराशि रू0–6,000 / – तथा गन्दगी करने के लिये शमनशुल्क धनराशि रू0–5,000 / – वसूला। इस प्रकार नगर निगम आगरा कोष में कुल शमनशुल्क धनराशि रू0–22,000 / – जमा करायी गयी।

दिनांक 23.11.2019:- रामनगर पुलिया से बोदला रोड पर स्थानीय दुकानदारों द्वारा रोड पर आग की भट्‌टी जलायी जा रही थी, जिस कारण उक्त दुकानदारों से मा0 एन0जी0टी के तहत भामन भाुल्क धनराशि रू0–17,000 / – वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा करायी गयी।

दिनांक 27.11.2019:- **स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रहीं प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकॉल की रोकथाम एंव अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टास्क फोर्स टीम के सहयोग से अ□ोपा हॉस्पीटल चौराहे से आर0के0पुरम स्कूल तक अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये 20 अस्थायी तथा 05 स्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त करते हुये अतिक्रमण शमनशुल्क धनराशि रू0–91,000/– तथा प्रतिबन्धित पॉलिथीन/थर्माकॉल के प्रयोग पर शमनशुल्क धनराशि रू0–2000/– तथा मा0 एन0जी0टी0 के अन्तर्गत शमनशुल्क धनराशि रू0–23,000/– कुल शमनशुल्क धनराशि रू0–1,16,000/– वसूल कर नगर निगम आगरा कोष में जमा कराया गया।**

दिनांक 29.11.2019:- जयपुर हाउस क्षेत्र में फुटपॉथ पर अवैध रूप से बनी हुयी झुग्गी झोपडीयों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एनफोर्समेन्ट टास्क फोर्स टीम एंव आर0आई श्री वैभव यादव के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में चेतावनी/मुनादी अभियान की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान उक्त क्षेत्र में झुग्गी झोपडीयों को हटाने के लिये चेतावनी दी गयी कि वह स्वंय अपनी झुग्गी/झोपडीयों को हटा लें अन्यथा नगर निगम द्वारा उन्हे तोड दिया जायेगा।

दिनांक 30.11.2019:- प्रवर्तन दल एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम तथा एस0एफ0आई श्रीमती नेहा विश्ट के सहयोग से नगर निगम के नेतृत्व में बुन्दुकटरा मार्केट तथा उसके आस पास अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही में 05 स्थायी तथा 10 अस्थायी अतिक्रमणों को हटाते हुये वहां के स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों से अतिक्रमण शमनशुल्क रू0–62,100/– पॉलिथीन शमनशुल्क रू0–19,100/– तथा गंदगी के विरूद्व शमनशुल्क रू0–3900/– कुल शमनशुल्क रू0–85,000/– वसूल कर नगर निगम आगरा कोष में जमा कराया गया।

उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 एवं अधिसूचना दिनांक 15 अगस्त, 2018 के तहत निर्गत माह नवम्बर 2019 में की गयी कार्यवाही-

जप्त की गयी कुल सामग्री	कुल जुर्माना (रू0)
16 किलो 900 ग्राम	128000.00

कर्मचारी सेवानिवृत्ति : नगर निगम, आगरा में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त देय भुगतानों के लिए एवं पेंशन स्वीकृति के लिये कार्यालय के चक्कर लगाना न पडे। इस हेतु नगर निगम, आगरा द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समस्त देयों के भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 ससम्मान विदाई समारोह आयोजित करके हस्तगत किये जाते हैं।

माह नवम्बर 2019 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 30.11.2019 को सेवानिवृत्त देय भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 वितरित किये गये। कुल 1 सेवानिवृत्त कर्मचारी को विदाई समारोह में फूलमाला एवं शॉल पहना कर सम्मानित किया गया और कुल धनराशि रू. 1230461.00 का चैक वितरण किया गया।